संख्या–24/प0अ0/2004–13 (पर्य0) 2004

प्रेषक,

एन0एन0 प्रसाद,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक, पर्यटन,
पटेलनगर, देहरादून।

पर्यटन अनुभाग

देहरादून : दिनॉक :17 मार्च, 2004

विषय :– वाहन कय हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला पर्यटन विकास अधिकारी देहरादून के उपयोगार्थ वाहन क्रय किये जाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद के पत्र संख्या–3052/1–2–62/03 दिनॉक 9 जनवरी, 2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय, देहरादून के वाहन संख्या–यू0जी0वाई0–2127 के निष्प्रयोज्य घोषित कर पुराने वाहन को नीलाम कर अर्जित राशि राजकोष में जमा करने के उपरांत उसके स्थान पर एक नया वाहन महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा मॉडल (बुलेरो एल0एक्स0/2 डब्ल्यू0डी0/7 एस0टी0आर0विद पी0एक्स0) के कय हेतु चालू रू0 3,87,490.93 (रूपये तीन लाख सत्तासी हजार चार सौ नब्बे हजार तिरानवे पैसे मात्र) की धनराशि के व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यह यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसा व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– उक्त वाहन का कय डी0जी0एस0एण्डडी0 की दरों पर ही किया जायेगा और कुल व्यापार कर हेतु अनुमन्य छूट उपयोग हेतु फार्म–डी निष्पादित किया जायेगा।

4– उक्त लागत में केवल मानक एसेसीरीज़ हेतु ही धनराशि सम्मिलित है।

5– वाहन का प्रयोग उसी अधिकारी द्वारा किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

6– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2003–2004 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3452–पर्यटन–80–सामान्य–आयोजनेत्तर–104–सम्वर्द्धन तथा प्रचार–03 अधिष्ठान–00–14–कार्यालय उपयोगार्थ स्टाफ कारों/ मोटर गाडियों का कय मद में आयोजनेत्तर पक्ष के मानक मद के नामें डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या– /वि0अनु0–3/2004 दिनॉक मार्च 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।

संख्या– (1) प0अ0/2004– पर्य./2003, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, देहरादून।
4– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
5– वित्त अनुभाग–3।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0एन0 प्रसाद)
सचिव।